न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 147/2019

एक्सिस बैंक लिमिटेड

—— प्रार्थी (सिक्योर केडिटर)

बनाम

1. मैसर्स गोकुल चन्द शिव पाल वास्ते प्रोपराइटर बनवारी लाल सैनी पुत्र दल्ला राम निवासी–डी–10, नई सब्जी मण्डी, नवलगढ जिला झुंझुनूं

—— ऋणी एवं मौर्गेजर

2. बनवारी लाल सैनी पुत्र दल्ला राम निवासी–मोहब्बतसर 132 केवी जीएसएस चेलासी, तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं

—— गारन्टर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनर्फोसमेंट इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 एतद् पश्चात् **एक्ट** से सम्बोधित किया गया है बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

——

उपस्थितः–

1 एडवोकट श्री रामावतार ढाका (बैंक ऑफ बडौदा) –............ प्रार्थी बैंक की ओर से

आदेश

दिनांक 23.09.2019

प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणीगण को कुल रूपये 12,00,000/– (रूपये बारह लाख) ऋण सुविधा जरिये ऋण अनुबन्ध सं0 917030084647238 दिनांक 08.12.2017 को उपलब्ध करायी गयी थी व अप्रार्थी/ऋणियों/जमानतदारों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के ऐवज मे शॉप न0 डी–10, कृषि उपज मण्डी, नवलगढ जिला झुंझुनूं क्षेत्रफल 104.75 वर्ग मीटर को बंधक रखा गया था। अप्रार्थी/ऋणीगण ने उपलब्ध ऋण को बैंक के नियमानुसार नही चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता एनपीए घोषित कर दिया गया व अप्रगार्थी/ऋणीगण के ऋण खाते मे रू0 11,97,342/– (रूपये ग्यारह लाख सतानवे हजार तीन सौ बयालीस) दिनांक 31.01.2019 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है। उक्त ऋणी को **एक्ट** की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी अप्रार्थीगण को दिनांक 16.02.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवायी गयी व न ही बंधकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर अन्दर ऋण राशि रू0 11,97,342/– (रूपये ग्यारह लाख सतानवे हजार तीन सौ बयालीस) दिनांक 31.01.2019 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे जमा करवाना था परन्तु ऋणी एवं जमानती ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाने के

जिला कलेक्टर झुन्झुनू
(जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)
झुंझुनू

कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व निलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। एक्ट की धारा के अन्तर्गत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को निम्न बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा लेने व कायम रखने मे सहायता आवश्यक है, के कारण प्रार्थी बैंक ने माननीय न्यायालय के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डाक्यूमेन्टस कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाने व कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूति आस्तियों के सुचारू रूप से विक्रय एवं अन्तरयण (निलामी) हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। बैंक सिक्योरिटीज का विवरणः– शॉप न0 डी–10, कृषि उपज मण्डी नवलगढ जिला झुंझुनूं क्षेत्रफल 104.75 वर्ग मीटर पूर्व मे रोड, पश्चिम मे रोड, उत्तर मे प्लाट न0 डी–11, दक्षिण मे प्लाट न0 डी–9 उक्त बन्धक सम्पत्ति मान्यवर के क्षेत्राधिकार मे है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को एकपक्षीय स्वीकार कर प्रार्थना पत्र की मद संख्या–6 मे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करवाने व कब्जा कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूति आस्तियों के सुचारू रूप से विक्रय एवं अन्तरण (निलामी) हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवाने के आदेश फरमाने की कृपा करें व प्रकरण को अन्तिम रूप से निस्तारित फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जानें का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शमिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति शॉप न0 डी–10, कृषि उपज मण्डी नवलगढ जिला झुंझुनूं क्षेत्रफल 104.75 वर्ग मीटर पूर्व मे रोड, पश्चिम मे रोड, उत्तर मे प्लाट न0 डी–11, दक्षिण मे प्लाट न0 डी–9 है का पजेशन प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 23.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

जिला कलक्टर झुन्झुनू